

नम्बर व का
अहकाम जो
की तामील में ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

निर्णय दिनांक :- 23/8/2022

संख्या :- 333/2022

नवानी प्रार्थना पत्र :-

1. फून्दालाल पुत्र कल्याण जाति माली निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. बाबू पुत्र रामा जाति माली निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. मुकेश पुत्र रामा जाति माली निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. मांगी देवी पत्नी स्व0 रामा जाति माली निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. राजू पुत्र रामा जाति माली निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सायर पत्नी फून्दालाल जाति माली निवासी डाबरकलां तहसील देवली जिला टोंक राज0

प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार देवली जिला-टोंक (राज.)

-अप्रार्थी पक्ष-

उपस्थित :-

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण


तहसीलदार
देवली

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 214 ख0नं0 2637/351 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम डाबरकलां तहसील देवली जिला-टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है व पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार सीमा विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी सम्बत् 2071-74 में दर्ज आराजी खाता संख्या 214 ख0नं0 2637/351 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम डाबरकलां की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु सम्बंधित तहसीलदार को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
देवली